भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 55

जिसका उत्तर, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया

एलआईसी की कार्य पद्धति

55. श्री रामेशभाई एल॰ धडुकः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की कार्यपद्धति का नियमित रूप से आकलन किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एलआईसी द्वारा किए गए निवेश का नियमित रूप से आकलन करती है क्योंकि हमारे देशवासियों को इस पर पूर्ण विश्वास है;

(ग) एलआईसी द्वारा निवेश की गई उस राशि का ब्यौरा क्या है जिससे कोई लाभ नहीं हुआ है; और

(घ) एलआईसी द्वारा ऐसे निवेशों को फलदायक/लाभदायक बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) सभी बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा स्थलेत्तर/यथा स्थान निगरानी प्रक्रिया के द्वारा तथा समय-समय विवरणी प्राप्त करके करता है। एलआईसी के कार्यनिष्पादन का मूल्ल्यांक प्रत्येक वर्ष सरकार को आशय पत्र का विवरण प्रस्तुत करते समय एलआईसी द्वारा सहमत मानदंडों की तुलना में किया जाता है। मंत्रालय स्तर पर भी एलआईसी की आवधिक समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है।

(ख): निगम को निवेश बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा अधिनियम, 1956 तथा इरडाई (निवेश) विनियम, 2016 के उपबंधों के द्वारा किया जाता है। एलआईसी के अनुसार, निवेश संबंधी निर्णय जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत एलआईसी बोर्ड द्वारा गठित निवेश समिति की सलाह के अनुसार लिए जा रहे हैं तथा निवेश समिति मौजूदा विधिक उपबंधों तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति से निर्देशित होती है।

(ग) और (घ): एलआईसी ने वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमश: 9419 करोड़ रुपए, 10565 करोड़ रुपए तथा 11,163 करोड़ रुपए के लाभांश आय के अतिरिक्त अपने इक्विटी पोर्टफोलियो पर वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान

क्रमशः 19,302.87 करोड़ रुपए, 25,464.59 करोड़ रुपए तथा 23,657.00 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है।

एलआईसी का निवेश, इसकी विधिवत अनुमोदित निवेश नीति, मानक परिचालन प्रक्रिया तथा प्रणाली के अनुसार किया जाता है। परिचालन प्रक्रिया तथा आंतरिक मानदण्डों की समीक्षा आवश्यकता के अनुसार की जाती है तथा परिवर्तनों और संशोधनों को निवेश समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत शामिल कर लिया जाता है।

*****